19011/ 21/2009/के.हि.प्र.सं./अल्प.ग.प्रशि. / 5701 से 5900

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग

दूरभाष -23793521

MINISTRY OF HOME AFFAIRS, DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE

केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान

CENTRAL HINDI TRAINING INSTITUTE

दिनांक : 12 अक्टूबर 2009

सेवा में

समस्त मंत्रालय/विभाग/सरकारी उपक्रम/बैंक/निगम/सांविधिक निकाय/लोक उद्यम/संगठन आदि ।

विषयः- भारत सरकार के विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षकों द्वारा हिंदी माध्यम से प्रशिक्षण देने के संबंध में - पांच पूर्ण कार्य-दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन वर्ष-2010.

महोदय/महोदया,

केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षकों के लिए हिंदी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं ताकि प्रशिक्षकों द्वारा अंग्रेजी तथा क्षेत्रीय भाषाओं के साथ-साथ हिंदी भाषा के माध्यम से भी प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण दिया जा सके । वर्ष 2009 तक इस संस्थान द्वारा 35 (पैंतीस) प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं । अभी भी ऐसे संकाय सदस्या (Faculty Members) की संख्या काफी है, जिन्हें हिंदी माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाना शेष है इसलिए इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों को वर्ष 2010 में भी चलाने का निर्णय लिया गया है ।

वर्ष 1992 से 2009 तक आपके कार्यालय द्वारा केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली को नामन सूची प्रेषित की जाती रही है । कृपया ऐसे संकाय सदस्यों/प्रशिक्षकों के नाम संलग्न प्रपत्र में मांगी गई अन्य सूचनाओं सहित यथाशीघ्र *भिजवाने का कष्ट करें,* जिन्हें हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान तो है, लेकिन उन्हें हिंदी में प्रशिक्षण देने में कठिनाई आती है इस प्रशिक्षण के उपरांत संकाय सदस्य/प्रशिक्षक अपने प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सुविधापूर्वक हिंदी माध्यम से चला सकेंगे, साथ ही उनकी हिंदी भाषा की अभिव्यक्ति को अधिक सशक्त बनाया जा सकेगा ।

वर्ष 2010 में उक्त कार्यक्रम नई दिल्ली में दिनांक 10 मई 2010 से 14 मई 2010 तक आयोजित किया जाएगा ।

कार्यक्रम का समय सुबह 9.30 बजे से सायं 6.00 बजे तक निर्धारित है ।

यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता आदि जो भी देय होगा,तो वह नामित प्रतिभागी के कार्यालय/संगठन द्वारा ही वहन किया जाएगा, इस संस्थान द्वारा नहीं ।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में नामित जिस अधिकारी को प्रवेश दिया जाएगा, उसकी पुष्टि इस कार्यालय द्वारा यथासमय दी जाएगी ।

इन कार्यक्रमों में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के लिए सीमित आवास की व्यवस्था उपलब्ध है, जिसका पता निम्नवत हैः-

हॉस्टल का पता इस प्रकार है :-
वार्डन (हॉस्टल,
केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान
फ्लैट नं. 2, गवर्नमेंट हॉस्टल, तीसरा तल, देवनगर, करोल बाग के पास,
नई दिल्ली - 110005 (दूरभाष नं. 011-23793521)

...2..

बस रूट - नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से 181 (खालसा कॉलेज)
पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से 926 (लिबर्टी सिनेमा)
हॉस्टल से 2-ए पृथ्वीराज रोड तक 450, 181 (संघ लोक सेवा आयोग, शाहजहाँ रोड)
प्रशिक्षण केंद्र/पत्राचार का पताः-
उप निदेशक (टंकण/आशुलिपि)
केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय,
2-ए, पृथ्वीराज रोड (जे.एंड के.हाउस के सामने) , राजस्थान भवन के नजदीक,
नई दिल्ली-110011. फैक्स नं. 011-23018740
कार्यशाला एकक दूरभाष सं. 011-23793521
बस रूट- नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से - एम-13,56 (संघ लोक सेवा आयोग, शाहजहाँ रोड तक),
पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से 502 (पृथ्वीराज रोड)
अ.रा.बस अड्डे से 501,503, 533,621 (पृथ्वीराज रोड)

कृपया यह सुनिश्चित करने का भी कष्ट करें कि इन कार्यक्रमों में जितने अधिकारियों की, इस कार्यालय द्वारा, पुष्टि भेजी जाती है उन्हें अवश्य कार्यमुक्त किया जाए । यदि किसी कारणवश उन्हें छोड़ना संभव न हो तो उनके स्थान पर किसी अन्य अधिकारी को भेजा जा सकता है ।

भवदीया,
(मोहिनी हिंगोरानी)
निदेशक

पृष्ठांकन संख्या-19011/2[illegible]/2009/के.हि.प्र.सं./अल्प.ग.प्रशि. / 5701 – 5900 दिनांकः 12-10-2009

प्रतिलिपि सूचनार्थः-

1. संयुक्त सचिव के निजी सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, लोकनायक भवन, नई दिल्ली ।
2. निदेशक (प्रशिक्षण), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, लोकनायक भवन, नई दिल्ली ।
3. निदेशक (संवा), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, लोकनायक भवन, नई दिल्ली ।
4. निदेशक (कार्यान्वयन), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, लोकनायक भवन, नई दिल्ली।
5. निदेशक (तकनीकी), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, लोकनायक भवन, नई दिल्ली।
6. संयुक्त निदेशक (मुख्यालय) हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली ।
7. संपादक, राजभाषा भारती, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली ।
8. सभी क्षेत्रीय उप निदेशक, हिंदी शिक्षण योजना
9. सभी उपनिदेशक (कार्यान्वयन) को व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु ।
10. उप निदेशक (परीक्षा), हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली ।
11. सहायक निदेशक, अनुसंधान एवं विश्लेषण एकक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली ।
12. सहायक निदेशक(टंकण/आशुलिपि, अनुसंधान एवं विश्लेषण एकक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली को इस निदेश के साथ कि वे इसे राजभाषा विभाग के पोर्टल/वेबसाइट पर उपलब्ध कराएं ।
13. प्रशासनिक अधिकारी, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली ।
14. प्रभारी सहायक निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण उप संस्थान, हैदराबाद, बेंगलूर ।

(मोहिनी हिंगोरानी)
निदेशक

प्रपत्र

1. प्रशिक्षक का नाम ....

2. पदनाम ....

3. मातृभाषा ....

4. वर्तमान तैनाती स्थल ....

5. शैक्षिक/तकनीकी अर्हता ....

6. हिंदी का ज्ञान ....

प्रायोजक अधिकारी के हस्ताक्षर

पदनाम

संस्थान/कार्यालय का पूरा पता

....

....

....

टेलीफोन नं. ....

फैक्स नं. ....